



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25102025-267122
CG-DL-E-25102025-267122

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 705]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 24, 2025/ कार्तिक 2, 1947

No. 705]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 24, 2025/ KARTIKA 2, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2025

(आयकर)

सा.का.नि. 789(अ).— जबकि आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य और कतर राज्य के बीच समझौते और प्रोटोकॉल पर दिनांक 18 फरवरी, 2025 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे;

और जबकि उक्त करार और प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 30 के पैराग्राफ 2 के अनुसार उक्त करार और प्रोटोकॉल दिनांक 10 सितंबर, 2025 को प्रवृत्त हुआ

और जबकि उक्त करार और प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 30 के पैराग्राफ 3 में यह प्रावधान है कि करार और प्रोटोकॉल के प्रावधान भारत में उस कैलेंडर वर्ष के तुरंत बाद के राजकोषकीय वर्ष के पहले दिन या उसके बाद उत्पन्न होने वाली आय के संबंध में प्रभावी होंगे जिसके अंतर्गत करार और प्रोटोकॉल लागू होते हैं;

अतः अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि इस करार और प्रोटोकॉल के सभी उपबंध, जैसा कि इसके साथ संलग्न हैं, भारत संघ में प्रभावी होंगे।

अनुबंध

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने

और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए

भारत गणराज्य की सरकार

और

कतर देश की सरकार

के बीच करार

भारत गणराज्य की सरकार और कतर देश की सरकार,

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने तथा राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम तथा दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, करार करने की इच्छा रखते हुए,

कर अपवंचन या उससे बचने (तीसरे क्षेत्राधिकार वाले निवासियों के अप्रत्यक्ष लाभ के लिए इस करार में प्रदान की गई राहत प्राप्त करने के उद्देश्य से व्यापार संबंधी की व्यवस्था के माध्यम से) के तरीके से गैर-कर या कम कराधान के अवसर सृजित किए बिना इस करार द्वारा कवर किए गए करों के संबंध में दोहरे कराधान को समाप्त करने का इरादा रखते हुए।

निम्नानुसार सहमति हुई है:

अनुच्छेद 1

कवर किये गए व्यक्ति

1. यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो एक या दोनों संविदाकारी देशों के निवासी हैं।
2. इस करार के प्रयोजनों के लिए, किसी संस्था या व्यवस्था द्वारा या उसके माध्यम से प्राप्त आय, जो किसी भी संविदाकारी देश में स्थापित है और जिसे किसी भी संविदाकारी देश के कर कानून के अंतर्गत पूर्णतः वित्तीय रूप से पारदर्शी माना जाता है, को किसी संविदाकारी देश के निवासी की आय केवल उस सीमा तक माना

जाएगा, जहां उस आय को उस देश द्वारा कराधान के प्रयोजनों के लिए उस देश के निवासी की आय माना जाता है।

अनुच्छेद 2 कवर किए गए कर

1. यह करार किसी संविदाकारी देश या उसके राजनीतिक उप-विभागों या स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से आय पर लगाए गए करों पर लागू होगा, चाहे वे किसी भी तरीके से लगाए गए हों।
2. कुल आय पर या आय के तत्वों पर लगाए गए सभी करों को आय पर कर माना जाएगा, जिसमें चल या अचल संपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त लाभ पर कर तथा उद्यमों द्वारा भुगतान की गई मजदूरी या वेतन की कुल राशि पर कर शामिल हैं।
3. मौजूदा कर जिन पर यह करार लागू होगा, वे विशेष रूप से निम्न हैं :
 - क) भारत में आयकर, उस पर किसी भी अधिभार सहित,
(इसके बाद इसे "भारतीय कर" कहा जाएगा)।
 - ख) कतर में आय पर कर,
(इसके बाद इसे "कतरी कर" कहा जाएगा)
4. यह करार किसी भी समान या लगभग समान करों पर भी लागू होगा जो पैरा 3 में निर्दिष्ट विद्यमान करों के अतिरिक्त या उनके स्थान पर करार पर हस्ताक्षर की तिथि के बाद लगाए गए हैं। संविदाकारी देशों के सक्षम प्राधिकारी अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में एक दूसरे को सूचित करेंगे।

अनुच्छेद 3 सामान्य परिभाषाएँ

1. इस करार के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:
 - क) "भारत" शब्द का तात्पर्य भारत के भू-भाग से है और इसके भू-भाग का समुद्र क्षेत्र और वायु क्षेत्र, साथ ही कोई अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल है, जिसमें भारत के पास भारतीय कानून के अनुसार और समुद्र संबंधित कानून पर संयुक्त देश कन्वेंशन सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार संप्रभु अधिकार, अन्य अधिकार और क्षेत्राधिकार है;
 - ख) "कतर" शब्द का तात्पर्य कतर देश से है और जब भौगोलिक अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है तो इसका तात्पर्य कतर देश की भूमि, देश का जलीय क्षेत्र, उसके तल और अवभूमि सहित प्रादेशिक समुद्र, उनके ऊपर वायु क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीपीय शेल्फ से है, जिस पर कतर देश अंतरराष्ट्रीय कानून और कतर के राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार संप्रभु अधिकारों और क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है;
 - ग) "व्यक्ति" शब्द में एक व्यक्ति, एक संगठन, व्यक्तियों का एक निकाय और कोई अन्य इकाई शामिल है जिसे संबंधित संविदाकारी देशों में लागू कराधान कानूनों के तहत एक कर योग्य इकाई के रूप में माना जाता है;

- घ) "कंपनी" शब्द का तात्पर्य किसी निगमित निकाय या किसी इकाई से है जिसे कर उद्देश्यों के लिए निगमित निकाय माना जाता है;
- ङ) "एक संविदाकारी देश का उद्यम" और "दूसरे संविदाकारी देश का उद्यम" शब्दों का तात्पर्य क्रमशः एक संविदाकारी देश के निवासी द्वारा चलाया जाने वाला उद्यम और दूसरे संविदाकारी देश के निवासी द्वारा चलाया जाने वाला उद्यम है;
- च) "अंतरराष्ट्रीय यातायात" शब्द का तात्पर्य किसी संविदाकारी देश के उद्यम द्वारा संचालित जहाज या वायुयान द्वारा किए जाने वाले किसी परिवहन से है, सिवाय उस स्थिति के जब जहाज या वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी देश के स्थानों के बीच संचालित किया जाता हो;
- छ) "सक्षम प्राधिकारी" शब्द का तात्पर्य है:
- (i) भारत में: वित्त मंत्री, भारत सरकार, या उनके अधिकृत प्रतिनिधि
- (ii) कतर में: वित्त मंत्री, या उनके अधिकृत प्रतिनिधि;
- ज) "राष्ट्रिक" शब्द का तात्पर्य है:
- (i) किसी संविदाकारी देश की राष्ट्रीयता रखने वाला कोई व्यक्ति;
- (ii) कोई विधिक व्यक्ति, साझेदारी या संघ जो किसी संविदाकारी देश में लागू कानूनों से अपनी प्राप्ति प्राप्त करता है;
- झ) "वित्तीय वर्ष" शब्द का तात्पर्य है:
- i. भारत के मामले में, 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाला वित्तीय वर्ष;
- ii. कतर के मामले में, कतर आयकर कानून में परिभाषित कर योग्य वर्ष;
- ञ) "कर" शब्द का तात्पर्य भारतीय कर या कतरी कर है, जैसा कि संदर्भ की आवश्यकता हो, लेकिन इसमें कोई भी राशि शामिल नहीं होगी जो उन करों के संबंध में किसी भी चूक या ऐसी चूक के संबंध में देय है जिन पर यह करार लागू होता है या जो उन करों से संबंधित जुर्माना या दंड का प्रतिनिधित्व करता है;
- ट) "संविदाकारी देश" और "अन्य संविदाकारी देश" शब्दों का तात्पर्य भारत गणराज्य या कतर देश से है, जैसा कि संदर्भ की आवश्यकता हो।

2. जहां तक किसी संविदाकारी देश द्वारा किसी भी समय करार के अनुप्रयोग का संबंध है, इसमें परिभाषित न की गई किसी शर्त का, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, वही अर्थ होगा जो उस समय उस देश के कानून के अंतर्गत उन करों के प्रयोजनों के लिए है जिन पर यह करार लागू होता है और उस देश के लागू कर कानूनों के अंतर्गत कोई भी अर्थ उस देश के अन्य कानूनों के अंतर्गत उस शर्त को दिए गए अर्थ पर प्रवृत्त होगा।

अनुच्छेद 4 निवासी

1. इस करार के प्रयोजनों के लिए, "किसी संविदाकारी देश का निवासी" शब्द का तात्पर्य है कोई भी व्यक्ति जो उस देश के कानूनों के तहत अपने अधिवास, निवास, प्रबंधन के स्थान या इसी तरह की प्रकृति के किसी अन्य मानदंड के कारण कर के लिए उत्तरदायी है, और इसमें वह देश और उसका कोई राजनीतिक उप-विभाग, स्थानीय प्राधिकरण या वैधानिक निकाय भी शामिल है। हालाँकि, इस शब्द में कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं है जो उस देश में केवल उस देश के स्रोतों से आय के संबंध में कर के लिए उत्तरदायी है।

2. जहां पैरा 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी देशों का निवासी है, तो उसकी स्थिति निम्नानुसार निर्धारित की जाएगी:

- (क) वह केवल उस देश का निवासी समझा जाएगा जिसके साथ उसके घनिष्ठ रूप से व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध हैं (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र);
- (ख) यदि वह देश, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र स्थित है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो वह केवल उस देश का निवासी माना जाएगा, जिसमें उसका स्वाभाविक निवास है;
- (ग) यदि उसका स्वाभाविक निवास दोनों देशों में है या उनमें से किसी में भी नहीं है, तो वह केवल उस देश का निवासी माना जाएगा जिसका वह नागरिक है;
- (घ) यदि वह दोनों देशों का नागरिक है या उनमें से किसी का भी नहीं है, तो संविदाकारी देशों के सक्षम प्राधिकारी आपसी सहमति से इस प्रश्न का निपटारा करेंगे।

3. जहां पैरा 1 के उपबंधों के कारण, किसी व्यक्ति के अलावा कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी देशों का निवासी है, वहां संविदाकारी देशों के सक्षम अधिकारी आपसी सहमति से इसके प्रभावी प्रबंधन के स्थान, उस स्थान पर जहां इसे शामिल किया गया है या अन्यथा गठित किया गया है और किसी भी अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित करने का प्रयास करेंगे कि ऐसे व्यक्ति को करार के प्रयोजनों के लिए किस संविदाकारी देश का निवासी माना जाएगा। ऐसे करार के अभाव में, ऐसा व्यक्ति इस करार द्वारा प्रदान की गई कर से किसी भी राहत या छूट का हकदार नहीं होगा, सिवाय उस सीमा तक और ऐसे तरीके से जिस पर संविदाकारी देशों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा सहमति व्यक्त की जा सकती है।

अनुच्छेद 5 स्थायी प्रतिष्ठान

1. इस करार के प्रयोजनों के लिए, "स्थायी प्रतिष्ठान" शब्द का तात्पर्य व्यवसाय का एक निश्चित स्थान है जिसके माध्यम से किसी उद्यम का व्यवसाय पूर्णतः या आंशिक रूप से चलाया जाता है।

2. "स्थायी प्रतिष्ठान" शब्द में विशेष रूप से शामिल हैं:

- क) प्रबंधन का स्थान;
- ख) एक शाखा;
- ग) एक कार्यालय;
- घ) एक कारखाना;

- ड) एक कार्यशाला;
- च) खान, तेल या गैस का कुआं, खदान या प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान;
- छ) बिक्री केंद्र;
- ज) दूसरों के लिए भंडारण सुविधाएं प्रदान करने वाले व्यक्ति के संबंध में गोदाम; तथा
- झ) कोई फार्म, बागान या अन्य स्थान जहां कृषि, वानिकी, बागान या संबंधित गतिविधियां की जाती हैं।

3. क) कोई निर्माण स्थल या कोई निर्माण कार्य, स्थापना या संयोजन परियोजना या उससे संबंधित पर्यवेक्षी गतिविधियां तभी स्थायी प्रतिष्ठान मानी जाएंगी, जब ऐसी साइट, परियोजना या गतिविधि छह महीने से अधिक समय तक चले;

(ख) किसी उद्यम द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिए नियुक्त कर्मचारियों या अन्य कार्मिकों के माध्यम से परामर्शी सेवाओं सहित अन्य सेवाएं प्रदान करना, तभी स्थायी प्रतिष्ठान माना जाएगा, जब उस प्रकृति की गतिविधियां (उसी या संबंधित परियोजना के लिए) देश के भीतर किसी 12 माह की अवधि के भीतर 90 दिनों से अधिक अवधि या अवधियों के लिए जारी रहती हैं।

4. किसी उद्यम को किसी संविदाकारी देश में स्थायी प्रतिष्ठान रखने वाला तथा उस स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से कारोबार करने वाला माना जाएगा यदि वह उस देश में खनिज तेलों के पूर्वक्षण, निष्कर्षण या दोहन के लिए प्रयुक्त या प्रयोग किए जाने वाले संयंत्र और मशीनरी के संबंध में सेवाएं या सुविधाएं प्रदान करता है या किराये पर आपूर्ति करता है।

5. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों के बावजूद, "स्थायी प्रतिष्ठान" शब्द में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जाएगा:

- क) केवल उद्यम से संबंधित वस्तुओं या माल के भंडारण या प्रदर्शन के प्रयोजन के लिए सुविधाओं का उपयोग;
- ख) उद्यम से संबंधित माल या माल के स्टॉक का केवल भंडारण या प्रदर्शन के उद्देश्य से रख-रखाव;
- ग) उद्यम से संबंधित माल या माल के स्टॉक का रख-रखाव केवल किसी अन्य उद्यम द्वारा प्रसंस्करण के उद्देश्य के लिए;
- घ) उद्यम के लिए केवल माल या माल खरीदने या सूचना एकत्र करने के उद्देश्य से व्यवसाय के एक निश्चित स्थान का रख-रखाव;
- ड) उद्यम के लिए किसी अन्य गतिविधि को चलाने के प्रयोजन के लिए केवल व्यवसाय के एक निश्चित स्थान का रख-रखाव ;
- च) उप-पैरा (क) से (ड) में उल्लिखित गतिविधियों के किसी भी संयोजन के लिए केवल व्यवसाय के एक निश्चित स्थान का रख-रखाव ,

बशर्ते कि ऐसी गतिविधि या, उपपैरा च के मामले में) व्यवसाय के निश्चित स्थान की समग्र गतिविधि, प्रारंभिक या सहायक प्रकृति की हो।

5.1 पैरा 5 किसी ऐसे निश्चित व्यावसायिक स्थान पर लागू नहीं होगा जिसका उपयोग या रखरखाव किसी उद्यम द्वारा किया जाता है, यदि वही उद्यम या घनिष्ठ रूप से संबंधित उद्यम उसी संविदाकारी देश में उसी स्थान पर या किसी अन्य स्थान पर व्यावसायिक गतिविधियां चलाता है और

(क)	वह स्थान या अन्य स्थान इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत उद्यम या घनिष्ठ रूप से संबंधित उद्यम के लिए एक स्थायी प्रतिष्ठान का निर्माण करता है, या
(ख)	एक ही स्थान पर दो उद्यमों द्वारा, या एक ही उद्यम द्वारा या दोनों स्थानों पर घनिष्ठ रूप से संबंधित उद्यमों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के संयोजन से होने वाली समग्र गतिविधि प्रारंभिक या सहायक प्रकृति की नहीं है,

बशर्ते कि एक ही स्थान पर दो उद्यमों द्वारा, या एक ही उद्यम द्वारा या दोनों स्थानों पर घनिष्ठ रूप से संबंधित उद्यमों द्वारा की जाने वाली व्यावसायिक गतिविधियां पूरक कार्य बनती हैं जो एक सुसंगत व्यावसायिक संचालन का हिस्सा हैं।

6. पैरा 1 और 2 के प्रावधानों के बावजूद, जहां कोई व्यक्ति - स्वतंत्र दर्जे के एजेंट के अलावा जिस पर पैरा 8 लागू होता है - किसी अन्य संविदाकारी देश के उद्यम की ओर से एक संविदाकारी देश में कार्य कर रहा है, उस उद्यम को उस उद्यम के लिए उस व्यक्ति द्वारा की जाने वाली किसी भी गतिविधि के संबंध में प्रथम वर्णित संविदाकारी देश में एक स्थायी प्रतिष्ठान जाएगा, यदि ऐसा व्यक्ति:

(क)	उस देश में उद्यम के नाम पर संविदाएं करने का प्राधिकार रखता है और उसका प्रयोग आदतन करता है, जब तक कि ऐसे व्यक्ति की गतिविधियां पैरा 5 में उल्लिखित गतिविधियों तक सीमित न हों, जो यदि व्यवसाय के किसी निश्चित स्थान के माध्यम से की जाएं, तो व्यवसाय का वह निश्चित स्थान उस पैरा के उपबंधों के अंतर्गत स्थायी प्रतिष्ठान नहीं बन जाएगा; या
(ख)	ऐसा कोई प्राधिकार नहीं है, किन्तु वह प्रथम वर्णित देश में आदतन माल या माल का स्टॉक रखता है, जिससे वह उद्यम की ओर से नियमित रूप से माल या वस्तुओं वितरित करता है; या
(ग)	प्रथम वर्णित देश में आदतन आदेश प्राप्त करता है, पूर्णतः या लगभग पूर्णतः स्वयं उद्यम के लिए या उद्यम तथा अन्य उद्यमों के लिए जो उस उद्यम को नियंत्रित करते हैं, उसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, या उसी नियंत्रण के अधीन होते हैं।

7. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों के बावजूद, किसी संविदाकारी देश का बीमा उद्यम, पुनर्बीमा के संबंध में छोड़कर, दूसरे संविदाकारी देश में स्थायी प्रतिष्ठान रखने वाला माना जाएगा यदि वह उस दूसरे देश के क्षेत्र में प्रीमियम एकत्रित करता है या स्वतंत्र दर्जे के एजेंट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से वहां स्थित जोखिमों का बीमा करता है, जिस पर अनुच्छेद 8 लागू होता है।

8. किसी उद्यम को किसी संविदाकारी देश में स्थायी प्रतिष्ठान रखने वाला केवल इसलिए नहीं माना जाएगा कि वह उस देश में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट या किसी अन्य स्वतंत्र दर्जे वाले एजेंट के माध्यम से व्यवसाय करता है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने व्यवसाय के सामान्य क्रम में कार्य कर रहे हों। हालाँकि, जब ऐसे एजेंट की गतिविधियाँ पूरी तरह या लगभग पूरी तरह उस उद्यम या एक या अधिक उद्यमों की ओर से समर्पित होती हैं जिनसे वह निकटता से जुड़ा हुआ है और उस उद्यम और एजेंट के बीच उनके वाणिज्यिक और वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें बनाई या लगाई जाती हैं जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच बनाई गई शर्तों से भिन्न होती हैं, तो उसे इस अनुच्छेद के अर्थ के भीतर स्वतंत्र दर्जे वाला एजेंट नहीं माना जाएगा।

9. यह तथ्य कि कोई कंपनी, जो किसी संविदाकारी देश की निवासी है, किसी ऐसी कंपनी को नियंत्रित करती है या उसके द्वारा नियंत्रित होती है जो दूसरे संविदाकारी देश की निवासी है, या जो उस दूसरे देश में कारोबार करती है (चाहे स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से या अन्यथा), अपने आप में किसी भी कंपनी को दूसरे का स्थायी प्रतिष्ठान नहीं बनाएगा।

10. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति या उद्यम किसी उद्यम से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, यदि सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, एक का दूसरे पर नियंत्रण है या दोनों एक ही व्यक्ति या उद्यम के नियंत्रण में हैं।

किसी भी मामले में, किसी व्यक्ति या उद्यम को किसी उद्यम से घनिष्ठ रूप से संबंधित माना जाएगा यदि एक के पास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे में 50 प्रतिशत से अधिक लाभकारी ब्याज हैं (या, किसी कंपनी के मामले में, कंपनी के शेयरों के कुल वोट और मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक या कंपनी में लाभकारी इक्विटी ब्याज हैं) या यदि कोई अन्य व्यक्ति या उद्यम के पास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस व्यक्ति और उद्यम में या दोनों उद्यमों में 50 प्रतिशत से अधिक लाभकारी ब्याज हैं (या, किसी कंपनी के मामले में, कंपनी के शेयरों के कुल वोट और मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक या कंपनी में लाभकारी इक्विटी ब्याज हैं)।

अनुच्छेद 6 अचल संपत्ति से प्राप्त आय

1. किसी संविदाकारी देश के निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी देश में स्थित अचल संपत्ति (कृषि या वानिकी से प्राप्त आय सहित) से अर्जित आय पर उस दूसरे देश में भी कर लगाया जा सकेगा।

2. "अचल संपत्ति" शब्द का वही अर्थ होगा जो उस संविदाकारी देश के कानून के अंतर्गत है जिसमें संबंधित संपत्ति स्थित है। इस शब्द में किसी भी मामले में अचल संपत्ति से संबंधित संपत्ति, पशुधन और कृषि तथा वानिकी में उपयोग किए जाने वाले उपकरण, भू-संपत्ति के संबंध में सामान्य कानून के प्रावधान लागू होने वाले अधिकार, अचल संपत्ति का उपयोग और खनिज भंडार, स्रोतों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के काम करने या काम करने के अधिकार के लिए प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय या निश्चित भुगतान के अधिकार शामिल होंगे; जहाजों, नावों और विमानों को अचल संपत्ति नहीं माना जाएगा।

3. पैरा 1 के प्रावधान प्रत्यक्ष उपयोग, किराये पर देने या किसी अन्य रूप में अचल संपत्ति के उपयोग से प्राप्त आय पर लागू होंगे।

4. पैरा 1 और 3 के प्रावधान किसी उद्यम की अचल संपत्ति से प्राप्त आय और स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली अचल संपत्ति से प्राप्त आय पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद 7 व्यावसायिक लाभ

1. किसी संविदाकारी देश के उद्यम के लाभ पर केवल उसी देश में कर लगेगा, जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी देश में स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से व्यवसाय न करता हो। यदि उद्यम पूर्वोक्त रूप से व्यवसाय करता है, तो उद्यम के लाभ पर दूसरे देश में भी कर लगाया जा सकता है, लेकिन उनमें से केवल उतना ही कर लगाया जा सकता है जितना उस स्थायी प्रतिष्ठान के लिए है।

2. पैरा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां किसी संविदाकारी देश का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी देश में स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से कारोबार करता है, वहां प्रत्येक संविदाकारी देश में उस स्थायी प्रतिष्ठान को वे लाभ दिए जाएंगे, जो उससे तब मिलने की अपेक्षा की जा सकती थी, जब वह एक पृथक और सुस्पष्ट उद्यम होता जो समान या समान परिस्थितियों में समान या समान गतिविधियों में लगा होता और उस उद्यम से पूर्णतः स्वतंत्र रूप से व्यवहार करता जिसका वह स्थायी प्रतिष्ठान है।

3. किसी स्थायी प्रतिष्ठान के लाभ का निर्धारण करते समय, स्थायी प्रतिष्ठान के कारोबार के प्रयोजनों के लिए किए गए व्यय, जिनमें कार्यकारी और सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल हैं, चाहे वे उस देश में या अन्यत्र हों जिसमें स्थायी प्रतिष्ठान स्थित है उस देश के कर कानूनों के प्रावधानों के अनुसार और उनकी सीमाओं के अधीन रहते हुए, कटौती के रूप में दिए जाएंगे। हालांकि, स्थायी प्रतिष्ठान द्वारा उद्यम के मुख्य कार्यालय या उसके किसी अन्य कार्यालय को पेटेंट, जानकारी या अन्य अधिकारों के उपयोग के बदले में रॉयल्टी, फीस या अन्य समान भुगतान के रूप में या निष्पादित विशिष्ट सेवाओं या प्रबंधन के लिए कमीशन या अन्य शुल्क के रूप में या बैंकिंग उद्यम के मामले को छोड़कर, स्थायी प्रतिष्ठान को उधार दिए गए धन पर ब्याज के रूप में भुगतान की गई राशि (वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति के अलावा) के संबंध में ऐसी कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी तरह, स्थायी प्रतिष्ठान के मुनाफे के निर्धारण में, स्थायी प्रतिष्ठान द्वारा उद्यम के मुख्य कार्यालय या उसके किसी अन्य कार्यालय को पेटेंट, जानकारी या अन्य अधिकारों के उपयोग के बदले में रॉयल्टी, फीस या अन्य समान भुगतान के रूप में या निष्पादित विशिष्ट सेवाओं या प्रबंधन के लिए कमीशन या अन्य शुल्क के रूप में या बैंकिंग उद्यम के मामले को छोड़कर, उद्यम के मुख्य कार्यालय या उसके किसी अन्य कार्यालय को उधार दिए गए धन पर ब्याज के रूप में प्रभारित की गई राशि (वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति के अलावा) के लिए कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा।

4. जहां तक किसी संविदाकारी देश में उद्यम के कुल लाभों को उसके विभिन्न भागों में विभाजित करके स्थायी प्रतिष्ठान को दिए जाने वाले लाभों का निर्धारण करना प्रथागत रहा है, वहां पैरा 2 की कोई बात उस संविदाकारी देश को ऐसे विभाजन द्वारा कर लगाए जाने वाले लाभों का निर्धारण करने से नहीं रोकेगी, जैसा कि प्रथागत हो; तथापि, विभाजन की अपनाई गई विधि ऐसी होगी कि परिणाम इस अनुच्छेद में निहित सिद्धांतों के अनुसार होगा।

5. किसी स्थायी प्रतिष्ठान को केवल इस आधार पर कोई लाभ नहीं दिया जाएगा कि उस स्थायी प्रतिष्ठान ने उद्यम के लिए माल या वस्तुएं खरीदी हैं।

6. पूर्वगामी पैरा के प्रयोजनों के लिए, स्थायी प्रतिष्ठान को दिए जाने वाले लाभ का निर्धारण वर्ष दर वर्ष समान पद्धति से किया जाएगा, जब तक कि इसके विपरीत कोई अच्छा और पर्याप्त कारण न हो।

7. जहां लाभ में आय की वे मदें शामिल हैं जिनका इस करार के अन्य अनुच्छेदों में अलग से वर्णन किया गया है, तो उन अनुच्छेदों के प्रावधान इस अनुच्छेद के प्रावधानों से प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद 8 पोत और हवाई परिवहन

1. किसी संविदाकारी देश के उद्यम द्वारा अंतरराष्ट्रीय यातायात में जहाजों या विमानों के संचालन से प्राप्त लाभ पर केवल उसी देश में कर लगेगा।

2. पूर्ववर्ती पैराग्राफ के प्रयोजनों के लिए, कतर देश के मामले में जहाजों और विमानों में यूनाइटेड अरब शिपिंग कंपनी शामिल होगी, जब तक कि कतर देश के पास इस कंपनी या कतर देश की सरकार द्वारा नामित किसी अन्य हवाई या समुद्री परिवहन उद्यम में कोई शेयर है।

3. किसी परिवहन उद्यम द्वारा, जो किसी संविदाकारी देश का निवासी है, अंतरराष्ट्रीय यातायात में माल या वस्तुओं के परिवहन के लिए प्रयुक्त कंटेनरों (कंटेनरों के परिवहन के लिए ट्रेलरों और अन्य उपकरणों सहित) के उपयोग, रखरखाव या किराये से प्राप्त लाभ केवल उस संविदाकारी देश में कर योग्य होगा, जब तक कि कंटेनरों का उपयोग केवल दूसरे संविदाकारी देश के भीतर न किया जाता हो।

4. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, अंतरराष्ट्रीय यातायात में जहाजों या विमानों के संचालन से सीधे जुड़े निवेशों पर ब्याज को ऐसे जहाजों या विमानों के संचालन से प्राप्त लाभ माना जाएगा, और अनुच्छेद 11 के प्रावधान ऐसे ब्याज के संबंध में लागू नहीं होंगे।

5. पैराग्राफ 1 के प्रावधान किसी पूल, संयुक्त व्यवसाय या अंतरराष्ट्रीय परिचालन एजेंसी में भागीदारी से होने वाले मुनाफे पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद 9 संबद्ध उद्यम

1. जहां:

(क)	किसी संविदाकारी देश का कोई उद्यम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे संविदाकारी देश के किसी उद्यम के प्रबंधन, नियंत्रण या पूंजी में भाग लेता है; या
(ख)	वही व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक संविदाकारी देश के उद्यम और दूसरे संविदाकारी देश के उद्यम के प्रबंधन, नियंत्रण या पूंजी में भाग लेते हैं,

और दोनों में से किसी भी मामले में दो उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक या वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें बनाई जाती हैं या लगाई जाती हैं जो उन शर्तों से भिन्न होती हैं जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच बनाई जाती हैं, तो कोई लाभ जो उन शर्तों के बिना है, उद्यमों में से किसी एक को प्राप्त होता है, लेकिन उन शर्तों के कारण ऐसा नहीं हुआ है, उस उद्यम के लाभों में शामिल किया जा सकता है और तदनुसार कर लगाया जा सकता है।

2. जहां कोई संविदाकारी देश अपने देश के किसी उद्यम के लाभों में ऐसे लाभ शामिल करता है - और तदनुसार कर लगाता है - जिन पर दूसरे संविदाकारी देश के किसी उद्यम पर उस दूसरे देश में कर लगाया गया है और इस प्रकार शामिल किए गए लाभ वे लाभ हैं जो पहले उल्लेखित देश के उद्यम को प्राप्त होते यदि दोनों उद्यमों के बीच की शर्तें वही होतीं जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच होतीं, तो वह दूसरा देश उन लाभों पर लगाए गए कर की राशि में उचित समायोजन करेगा। ऐसे समायोजन का निर्धारण करते समय, इस करार के अन्य प्रावधानों पर उचित ध्यान दिया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो संविदाकारी देशों के सक्षम अधिकारी एक दूसरे से परामर्श करेंगे

अनुच्छेद 10 लाभांश

1. किसी संविदाकारी देश की निवासी कंपनी द्वारा दूसरे संविदाकारी देश के निवासी को भुगतान किए गए लाभांश पर उस दूसरे देश में कर लगाया जा सकेगा।

2. तथापि, ऐसे लाभांश पर उस संविदाकारी देश में भी कर लगाया जा सकेगा, जिसका लाभांश देने वाली कंपनी निवासी है और उस देश के कानूनों के अनुसार, किन्तु यदि लाभांश का लाभकारी स्वामी दूसरे संविदाकारी देश का निवासी है, तो इस प्रकार लगाया जाने वाला कर निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा:

(क)	लाभांश की सकल राशि का 5 प्रतिशत यदि लाभार्थी स्वामी ऐसी कंपनी है जो लाभांश का भुगतान करने वाली कंपनी के कम से कम पच्चीस प्रतिशत शेयरों का स्वामी है; तथा
(ख)	अन्य सभी मामलों में लाभांश की सकल राशि का 10 प्रतिशत।

यह अनुच्छेद कंपनी के उन लाभों के संबंध में करायान को प्रभावित नहीं करेगा जिनमें से लाभांश का भुगतान किया जाता है।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों के बावजूद, किसी संविदाकारी देश की निवासी कंपनी द्वारा भुगतान किए गए लाभांश पर दूसरे संविदाकारी देश में केवल तभी कर लगेगा, जब लाभांश का लाभकारी स्वामी स्वयं वह दूसरा देश, उसका कोई राजनीतिक उपखंड या स्थानीय प्राधिकरण हो।

4. इस अनुच्छेद में प्रयुक्त "लाभांश" शब्द का अर्थ शेयरों या अन्य अधिकारों से आय है, जो ऋण-दावे नहीं हैं, लाभ में भागीदारी है, साथ ही अन्य कॉर्पोरेट अधिकारों से आय है जो उस देश के कानूनों द्वारा शेयरों से आय के समान करायान उपचार के अधीन है जिसमें वितरण करने वाली कंपनी एक निवासी है।

5. पैराग्राफ 1, 2 और 3 के प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि लाभांश का लाभकारी स्वामी, किसी संविदाकारी देश का निवासी होने के नाते, उस दूसरे संविदाकारी देश में, जिसका लाभांश भुगतान करने वाली कंपनी निवासी है, वहां स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से व्यवसाय करता है, या उस दूसरे देश में वहां स्थित किसी निश्चित आधार से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करता है, और जिस होलिंग के संबंध में लाभांश का भुगतान किया जाता है, वह ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार से प्रभावी रूप से जुड़ी हुई है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14 के प्रावधान, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

6. जहां कोई कंपनी, जो किसी संविदाकारी देश की निवासी है, अन्य संविदाकारी देश से लाभ या आय प्राप्त करती है, वहां वह अन्य देश कंपनी द्वारा भुगतान किए गए लाभांश पर कोई कर नहीं लगा सकता है, सिवाय इसके कि ऐसे लाभांश उस अन्य देश के निवासी को भुगतान किए जाते हैं या जहां तक वह होलिंग जिसके संबंध में लाभांश का भुगतान किया जाता है, प्रभावी रूप से उस अन्य देश में स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार से संबद्ध है, और न ही कंपनी के अवितरित लाभ पर कोई कर लगा सकता है, भले ही भुगतान किए गए लाभांश या अवितरित लाभ पूर्णतः या अंशतः ऐसे अन्य देश में उत्पन्न लाभ या आय से मिलकर बने हों।

अनुच्छेद 11 ब्याज

1. किसी संविदाकारी देश में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी देश के निवासी को दिए जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे देश में कर लगाया जा सकेगा।

2. तथापि, ऐसे ब्याज पर उस संविदाकारी देश में भी कर लगाया जा सकेगा जिसमें वह उत्पन्न होता है, तथा उस देश के कानूनों के अनुसार, किन्तु यदि ब्याज का लाभार्थी स्वामी दूसरे संविदाकारी देश का निवासी है, तो इस प्रकार लगाया जाने वाला कर ब्याज की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. पैराग्राफ 2 के प्रावधानों के बावजूद, एक संविदाकारी देश में उत्पन्न होने वाला ब्याज केवल दूसरे संविदाकारी देश में ही कर योग्य होगा, बशर्ते कि वह उस दूसरे देश, उसके किसी राजनीतिक उपखंड या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्राप्त और लाभकारी रूप से स्वामित्व में हो।

4. इस अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द "ब्याज" का अर्थ है हर तरह के ऋण-दावों से होने वाली आय, चाहे बंधक द्वारा सुरक्षित हो या न हो और चाहे देनदारों के लाभ में भाग लेने का अधिकार हो या न हो, और विशेष रूप से, सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाली आय और बांड या ऋण से होने वाली आय, जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बांड या ऋण से जुड़े प्रीमियम और पुरस्कार शामिल हैं। इस शब्द में इस्लामी वित्तीय साधनों जैसी व्यवस्थाओं से होने वाली आय भी शामिल है, जहाँ अंतर्निहित करार के सार को ऋण में समाहित किया जा सकता है। इस अनुच्छेद के उद्देश्य के लिए देर से भुगतान के लिए जुर्माना शुल्क को ब्याज नहीं माना जाएगा।

5. अनुच्छेद 1, 2 और 3 के प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि हित का लाभकारी स्वामी, किसी संविदाकारी देश का निवासी होने के नाते, उस दूसरे संविदाकारी देश में, जिसमें हित उत्पन्न होता है, वहां स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से व्यवसाय करता है, या उस दूसरे देश में वहां स्थित किसी निश्चित आधार से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करता है, और जिस ऋण-दावे के संबंध में ब्याज का भुगतान किया जाता है, वह ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार से प्रभावी रूप से जुड़ा हुआ है। ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14 के प्रावधान, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

6. ब्याज किसी संविदाकारी देश में तब उत्पन्न माना जाएगा जब भुगतानकर्ता उस देश का निवासी हो। तथापि, जहां ब्याज का भुगतान करने वाला व्यक्ति, चाहे वह किसी संविदाकारी देश का निवासी हो या नहीं, किसी संविदाकारी देश में स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार रखता है जिसके संबंध में वह ऋणग्रस्तता उत्पन्न हुई थी जिस पर ब्याज का भुगतान किया गया है, और ऐसा ब्याज ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार द्वारा वहन किया जाता है, तो ऐसा ब्याज उस संविदाकारी देश में उत्पन्न माना जाएगा जिसमें स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार स्थित है।

7. जहां भुगतानकर्ता और लाभकारी स्वामी के बीच या उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष संबंध के कारण, जिस ऋण-दावे के लिए भुगतान किया जाता है, उसके संबंध में ब्याज की राशि उस राशि से अधिक हो जाती है जिस पर भुगतानकर्ता और लाभकारी स्वामी ऐसे संबंध के अभाव में सहमत होते, तो इस अनुच्छेद के प्रावधान केवल अंतिम उल्लिखित राशि पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, इस करार के अन्य प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए भुगतान का अतिरिक्त हिस्सा प्रत्येक संविदाकारी देश के कानूनों के अनुसार कर योग्य रहेगा।

अनुच्छेद 12

रॉयल्टी और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क

1. एक संविदाकारी देश में उत्पन्न होने वाली और दूसरे संविदाकारी देश के निवासी को दी जाने वाली तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या शुल्क पर उस दूसरे देश में कर लगाया जा सकेगा /

2. तथापि, तकनीकी सेवाओं के लिए ऐसी रॉयल्टी या शुल्क पर उस संविदाकारी देश में भी कर लगाया जा सकेगा जिसमें वे उत्पन्न होते हैं, तथा उस देश के कानूनों के अनुसार, किन्तु यदि तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या शुल्क का लाभकारी स्वामी दूसरे संविदाकारी देश का निवासी है, तो इस प्रकार लगाया गया कर तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या शुल्क की सकल राशि का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. क) इस अनुच्छेद में प्रयुक्त "रॉयल्टी" शब्द का अर्थ है सिनेमैटोग्राफ फिल्मों या टेलीविजन या रेडियो प्रसारण के लिए फिल्मों या टेपों सहित साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कार्य के किसी भी कॉपीराइट, किसी भी पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन या मॉडल, योजना, गुप्त फार्मूला या प्रक्रिया, या किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक

या वैज्ञानिक उपकरण, या औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित जानकारी के उपयोग, या उपयोग के अधिकार के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार का भुगतान;

ख) इस अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द "तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क" का अर्थ किसी भी प्रबंधकीय कार्य के प्रतिफल के रूप में किसी भी प्रकार का भुगतान है, तकनीकी या परामर्श सेवाएं, जिनमें तकनीकी या अन्य कार्मिकों द्वारा सेवाओं का प्रावधान शामिल है, लेकिन इसमें इस करार के अनुच्छेद 14 और 15 में उल्लिखित सेवाओं के लिए भुगतान शामिल नहीं हैं।

4. पैरा 1 और 2 के प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या शुल्क का लाभकारी स्वामी किसी संविदाकारी देश का निवासी होने के नाते, दूसरे संविदाकारी देश में, जिसमें तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या शुल्क उत्पन्न होते हैं, वहां स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से व्यवसाय करता है, या उस दूसरे देश में वहां स्थित किसी निश्चित आधार से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करता है, और वह अधिकार या संपत्ति जिसके संबंध में तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या शुल्क का भुगतान किया जाता है, ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार से प्रभावी रूप से जुड़ा हुआ है। ऐसे मामले में, जैसा भी मामला हो, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14 के प्रावधान लागू होंगे।

5. तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या शुल्क तब किसी संविदाकारी देश में उत्पन्न माने जाएंगे, जब भुगतानकर्ता उस देश का निवासी हो। तथापि, जहां तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या शुल्क का भुगतान करने वाले व्यक्ति, चाहे वह संविदाकारी देश का निवासी हो या नहीं, के पास संविदाकारी देश में कोई स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार है, जिसके संबंध में तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या शुल्क का भुगतान करने का दायित्व वहन किया गया था, और तकनीकी सेवाओं के लिए ऐसी रॉयल्टी या शुल्क ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार द्वारा वहन किए जाते हैं, तो तकनीकी सेवाओं के लिए ऐसी रॉयल्टी या शुल्क उस देश में उत्पन्न माने जाएंगे, जिसमें वह स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार स्थित है।

6. जहां भुगतानकर्ता और लाभकारी स्वामी के बीच या उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष संबंध के कारण, उपयोग, अधिकार या सूचना संबंधी तकनीकी सेवाओं के लिए भुगतान की गई रॉयल्टी या शुल्क की राशि, ऐसी राशि से अधिक होती है, जिस पर ऐसे संबंध की अनुपस्थिति में भुगतानकर्ता और लाभकारी स्वामी द्वारा सहमति व्यक्त की गई होती, तो इस अनुच्छेद के प्रावधान केवल अंतिम उल्लिखित राशि - पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, इस समझौते के अन्य प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए भुगतान की अतिरिक्त राशि का वह हिस्सा प्रत्येक संविदाकारी देश के कानूनों के अनुसार कर योग्य रहेगा।

अनुच्छेद 13

पूंजीगत लाभ

1. अनुच्छेद 6 में निर्दिष्ट और दूसरे संविदाकारी देश में स्थित अचल संपत्ति के हस्तांतरण से किसी संविदाकारी देश के निवासी द्वारा प्राप्त लाभ पर उस दूसरे देश में कर लगाया जा सकता है।

2. किसी स्थायी प्रतिष्ठान की चल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाले, जो व्यावसायिक संपत्ति का एक हिस्सा है, लाभ, जो किसी संविदाकारी देश के उद्यम के पास दूसरे संविदाकारी देश में है या किसी संविदाकारी देश के निवासी को स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं करने के उद्देश्य से दूसरे संविदाकारी देश में उपलब्ध एक निश्चित आधार से संबंधित चल संपत्ति, जिसमें ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान या ऐसे निश्चित आधार के (अकेले या पूरे उद्यम के साथ) हस्तांतरण से होने वाले लाभ शामिल हैं, पर उस दूसरे देश में कर लगाया जा सकता है।

3. किसी संविदाकारी देश के उद्यम द्वारा अंतरराष्ट्रीय यातायात में संचालित जहाजों या विमानों या ऐसे जहाजों या विमानों के संचालन से संबंधित चल संपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त लाभ केवल उस देश में कर योग्य होंगे।

4. किसी संविदाकारी देश के निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी देश में स्थित अचल संपत्ति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने मूल्य के 50% से अधिक मूल्य प्राप्त किए जाने वाले हिस्सों के हस्तांतरण से प्राप्त लाभ पर उस दूसरे देश में कर लगाया जा सकता है।
5. किसी संविदाकारी देश की निवासी कंपनी में पैराग्राफ 4 में उल्लिखित हिस्सों के अलावा अन्य हिस्सों के हस्तांतरण से प्राप्त लाभ पर उस देश में कर लगाया जा सकता है।
6. पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 और 5 में उल्लिखित संपत्ति के अलावा किसी अन्य संपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त लाभ केवल उस संविदाकारी देश में कर योग्य होंगे, जिसका हस्तांतरणकर्ता निवासी है।

अनुच्छेद 14 **स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएँ**

1. किसी संविदाकारी देश के निवासी द्वारा व्यावसायिक सेवाओं या स्वतंत्र प्रकृति की अन्य गतिविधियों के संबंध में अर्जित आयकेवल, निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर, उस देश में कर योग्य होगी, जब ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी देश में भी कर लगाया जा सकता है:
क) यदि उसके पास अपनी गतिविधियों को निष्पादित करने के उद्देश्य से दूसरे संविदाकारी देश में नियमित रूप से एक निश्चित आधार उपलब्ध है; उस स्थिति में, उस निश्चित आधार के कारण होने वाली आय का केवल उतना हिस्सा ही उस दूसरे देश में कर योग्य होगा; या
ख) यदि उसका दूसरे संविदाकारी देश में प्रवास संबंधित वित्तीय वर्ष में प्रारंभ या समाप्त होने वाली किसी 12 महीने की अवधि में 183 दिन या उससे अधिक की अवधि या अवधियों के लिए है; उस स्थिति में, उस दूसरे देश में की गई उसकी गतिविधियों से प्राप्त आय का केवल उतना हिस्सा ही उस दूसरे देश में कर योग्य होगा।
2. व्यावसायिक सेवाओं में विशेष रूप से स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक या शिक्षण गतिविधियों के साथसाथ चि-किस्कों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुकारों, शल्य चिकित्सकों, दंत चिकित्सकों और लेखाकारों की स्वतंत्र गतिविधियाँ भी शामिल हैं।

अनुच्छेद 15 **आश्रित व्यक्तिगत सेवाएँ**

1. अनुच्छेद 16, 18, 19, 20 और 21 के प्रावधानों के अधधीन, किसी संविदाकारी देश के निवासी द्वारा किसी रोजगार के संबंध में प्राप्त वेतन, मजदूरी और अन्य समान पारिश्रमिक केवल उस देश में कर योग्य होगा, जब तक कि वह रोजगार दूसरे संविदाकारी देश में न किया गया हो। यदि रोजगार इस प्रकार किया जाता है, तो उससे प्राप्त होने वाले पारिश्रमिक पर उस दूसरे देश में कर लगाया जा सकता है।
2. पैराग्राफ 1 के प्रावधानों के होते हुए भी, किसी संविदाकारी देश के निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी देश में किए गए रोजगार के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक केवल पहले उल्लिखित देश में कर योग्य होगा यदि:
क) प्राप्तकर्ता संबंधित वित्तीय वर्ष में आरंभ या समाप्त होने वाले किसी भी 12 महीने की अवधि में कुल 183 दिनों से अधिक अवधि या अवधियों के लिए दूसरे देश में मौजूद हो; और
ख) जो दूसरे, किसी ऐसे नियोक्ता (देश का निवासी नहीं है) द्वारा या उसकी ओर से पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है; तथा
ग) जो नियोक्ता के पास दूसरे, ऐसा पारिश्रमिक किसी स्थायी प्रतिष्ठान या किसी निश्चित आधार (देश में है) द्वारा, वहन नहीं किया जाता है।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों के होते हुए भी, किसी संविदाकारी देश के उद्यम द्वारा अंतरराष्ट्रीय यातायात में संचालित किसी जहाज या विमान पर किए गए रोजगार के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर उस देश में कर लगाया जा सकता है।

4. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों के होते हुए भी, कोई संविदाकारी देश दूसरे संविदाकारी देश के किसी निर्दिष्ट राष्ट्रीय हवाई परिवहन वाहक के कर्मचारियों के मामले में वेतन, मजदूरी, भत्ते और सुविधाओं को कर से छूट देगा, बशर्ते कि वे उस दूसरे संविदाकारी देश के नागरिक हों।

अनुच्छेद 16 निदेशकों की फीस

किसी संविदाकारी देश के निवासी द्वारा किसी कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में प्राप्त निदेशकों की फीस और अन्य समान भुगतान, जो दूसरे संविदाकारी देश का निवासी है, उस दूसरे देश में भी कर लगाया जा सकता है।

अनुच्छेद 17 कलाकार और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 14 और 15 के प्रावधानों के होते हुए भी, किसी संविदाकारी देश के निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता, जैसे कि थिएटर, चलचित्र, रेडियो या टेलीविजन कलाकार, या संगीतकार, या खिलाड़ी के रूप में, दूसरे संविदाकारी देश में की गई अपनी व्यक्तिगत गतिविधियों से प्राप्त आय पर उस दूसरे देश में कर लगाया जा सकता है।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी के रूप में की गई व्यक्तिगत गतिविधियों के संबंध में आय मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को नहीं बल्कि किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होती है, तो उस आय पर अनुच्छेद 7, 14 और 15 के प्रावधानों के होते हुए भी, उस संविदाकारी देश में कर लगाया जा सकता है जिसमें ऐसे मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी द्वारा गतिविधियाँ की जाती हैं।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधान, मनोरंजनकर्ताओं या खिलाड़ियों द्वारा किसी संविदाकारी देश में की गई गतिविधियों से होने वाली आय पर लागू नहीं होंगे, यदि गतिविधियों को संविदाकारी राज्यों में से किसी एक या दोनों या उनके राजनीतिक उप विभागों या स्थानीय प्राधिकरणों के सार्वजनिक निधियों द्वारा पर्याप्त रूप से-समर्थन दिया जाता है। ऐसे मामले में, आय केवल उस संविदाकारी देश में कर योग्य होगी, जिसका मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी निवासी है।

अनुच्छेद 18 पेंशन

अनुच्छेद 19 के अनुच्छेद 2 के प्रावधानों के अधधीन, किसी संविदाकारी देश के निवासी को पिछले रोजगार के बदले में दी जाने वाली पेंशन और अन्य समान पारिश्रमिक केवल उसी देश में कर योग्य होगा।

अनुच्छेद 19 सरकारी सेवा

1. क किसी संविदाकारी (देश या उसके राजनीतिक उप विभाग या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को-उसदेश या उपविभाग या प्राधिकरण को दी गई सेवाओं के संबंध में पेंशन के अलावा भुगतान किए गए वेतन-, मजदूरी और अन्य समान पारिश्रमिक केवल उस देश में कर योग्य होंगे।
ख) हालांकि, ऐसे वेतन, मजदूरी और अन्य समान पारिश्रमिक केवल उस अन्य संविदाकारी देश में कर योग्य होंगे यदि सेवाएं उस दूसरे देश में दी जाती हैं और व्यक्ति उस दूसरे देश का निवासी है जो:
(i) उस दूसरे देश का नागरिक है; या
(ii) केवल सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से उस दूसरे देश का निवासी नहीं बना है।
2. क) किसी संविदाकारी देश या उसके राजनीतिक उप-विभाग या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा या उसके द्वारा बनाई गई निधियों से किसी व्यक्ति को उस देश या उप-विभाग या प्राधिकरण को दी गई सेवाओं के संबंध में भुगतान की गई कोई भी पेंशन केवल उस देश में कर योग्य होगी।
ख) तथापि, ऐसी पेंशन केवल दूसरे संविदाकारी देश में कर योग्य होगी, यदि व्यक्ति उस देश का निवासी और नागरिक है।
3. अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18 के प्रावधान किसी संविदाकारी देश या उसके किसी राजनीतिक उप-विभाग या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में पारिश्रमिक और पेंशन पर लागू होंगे।

अनुच्छेद 20 छात्र और प्रशिक्षु

1. कोई छात्र या व्यवसाय प्रशिक्षु जो दूसरे संविदाकारी देश में जाने से ठीक पहले किसी संविदाकारी देश का निवासी है या था और जो केवल अपनी शिक्षा या प्रशिक्षण के उद्देश्य से उस दूसरे संविदाकारी देश में मौजूद है, उसे अनुदान, ऋण और छात्रवृत्ति के अलावा उस दूसरे देश में कर से छूट दी जाएगी:
क उस दूसरे देश के बाहर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा उसके भरणपोषण-, शिक्षा या प्रशिक्षण के उद्देश्य से किए गए भुगतान; और
ख उस दूसरे देश में रोजगार से प्राप्त पारिश्रमिक, बशर्ते कि ऐसा रोजगार सीधे उसके अध्ययन से संबंधित हो या उसके भरणपोषण के उद्देश्य से किया गया हो।-
2. इस अनुच्छेद का लाभ केवल उस समयावधि तक ही दिया जाएगा जो शिक्षा या प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित या प्रथागत रूप से आवश्यक हो, किंतु किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को इस अनुच्छेद का लाभ, उसकी शिक्षा या प्रशिक्षण के प्रयोजनों के लिए उस दूसरे देश में उसके प्रथम आगमन की तारीख से लगातार छह वर्षों से अधिक समय तक नहीं दिया जाएगा।

अनुच्छेद 21 प्रोफेसर, शिक्षक और शोध विद्वान

1. कोई प्रोफेसर या शिक्षक या शोध विद्वान जो किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल या अन्य अनुमोदित संस्थान में शिक्षण या शोध करनेया दोनों के उद्देश्य से दूसरे संविदाकारी देश का दौरा करने से ठीक पहले संविदाकारी

देश का निवासी है या था, उसे उस दूसरे देश में उस उद्देश्य के लिए अपने पहले आगमन की तारीख से दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए ऐसे शिक्षण या शोध के लिए किसी भी पारिश्रमिक पर कर से छूट दी जाएगी।

2. यह अनुच्छेद शोध से होने वाली आय पर लागू नहीं होगा, यदि ऐसा शोध मुख्य रूप से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया जाता है।

3. इस अनुच्छेद और अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए 20, किसी व्यक्ति को किसी संविदाकारी देश का निवासी माना जाएगा यदि वह उस वित्तीय वर्ष में उस देश का निवासी है जिसमें वह दूसरे संविदाकारी देश का दौरा करता है या तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में।

4. पैराग्राफ के प्रयोजनों के लिए 1, अनुमोदित संस्थान का तात्पर्य ऐसी संस्थान से है जिसे संबंधित देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अनुमोदित किया गया हो।

अनुच्छेद 22

अन्य आय

1. किसी संविदाकारी देश के निवासी की आय की मदें, जहां भी उत्पन्न हों, जो इस समझौते के पूर्वगामी अनुच्छेदों में शामिल नहीं हैं, केवल उसी देश में कर योग्य होंगी।

2. अनुच्छेद में परिभाषित अचल संपत्ति से आय के अलावा 2 के पैराग्राफ 6, पैराग्राफ के प्रावधान आय पर 1 लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता, किसी संविदाकारी देश का निवासी होने के नाते, दूसरे संविदाकारी देश में वहां स्थित एक स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से व्यवसाय करता है, या उस दूसरे देश में वहां स्थित एक निश्चित आधार से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करता है, और जिस अधिकार या संपत्ति के संबंध में आय का भुगतान किया जाता है, वह ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान या निश्चित आधार से प्रभावी रूप से जुड़ा हुआ है। ऐसे मामले में अनुच्छेद के प्रावधान 14 या अनुच्छेद 7, जैसा भी हो, लागू होंगे।

3. पैराग्राफ के प्रावधानों के होते हुए भी 2 और 1, किसी संविदाकारी देश के निवासी की आय की वे मदें, जिनका इस करार के पूर्वगामी अनुच्छेदों में उल्लेख नहीं है और जो दूसरे संविदाकारी देश में उत्पन्न होती हैं, उन पर उस दूसरे देश में भी कर लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद 23

दोहरे कराधान का उन्मूलन

1. किसी भी संविदाकारी देश में लागू कानून संबंधित संविदाकारी देशों में आय के कराधान को नियंत्रित करना जारी रखेंगे, सिवाय जहां इस समझौते में इसके विपरीत प्रावधान किए गए हों।

2. कतर देश के मामले में, दोहरे कराधान को निम्नानुसार समाप्त किया जाएगा:
जहां कतर देश का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है, जिस पर इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार भारत में कर लगाया जा सकता है, कतर देश उस निवासी की आय पर कर से भारत में भुगतान किए गए आयकर के बराबर राशि की कटौती की अनुमति देगा। हालाँकि, ऐसी राशि, कटौती दिए जाने से पहले गणना किए गए आयकर के उस हिस्से से अधिक नहीं होगी, जो उस आय के कारण है जिस पर भारत में कर लगाया जा सकता है।

3. भारत के मामले में, दोहरे कराधान को इस प्रकार समाप्त किया जाएगा:

कजहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है (, जिस पर इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार कतर देश में कर लगाया जा सकता है, वहां भारत उस निवासी की आय पर कर से कतर देश में भुगतान किए गए आयकर के बराबर राशि की कटौती की अनुमति देगा। हालांकि, ऐसी राशि, कटौती दिए जाने से पहले गणना किए गए आयकर के उस हिस्से से अधिक नहीं होगी, जो कतर देश में कर लगाए जाने वाली आय के कारण है। खजबकि इस समझौते के किसी प्रावधान के अनुसार भारत के न (िवासी द्वारा प्राप्त आय भारत में कर से मुक्त है, फिर भी भारत ऐसे निवासी की शेष आय पर कर की राशि की गणना करते समय छूट प्राप्त आय को ध्यान में रख सकता है।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ में उल्लिखित संविदाकारी 3 और 2 देश में देय कर में वह कर शामिल माना जाएगा जो संविदाकारी देश के कानूनों के तहत दिए गए कर प्रोत्साहन यदि नहीं होते तो देय होता और जो आर्थिक , विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं।

अनुच्छेद 24 **गैर-भेदभाव**

1. किसी संविदाकारी देश के नागरिकों को दूसरे संविदाकारी देश में किसी ऐसे कराधान या उससे जुड़ी किसी अपेक्षा के अधीन नहीं रखा जाएगा, जो उस कराधान और उससे जुड़ी अपेक्षाओं से भिन्न या अधिक बोझिल हो, जिसके अधीन उस दूसरे देश के नागरिक समान परिस्थितियों में, विशेष रूप से निवास के संबंध में, हैं या हो सकते हैं। यह प्रावधान, अनुच्छेद के प्रावधानों के होते हुए भी, उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो एक या दोनों संविदाकारी देशों के निवासी नहीं हैं।

2. किसी संविदाकारी देश के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी देश में स्थायी प्रतिष्ठान पर कराधान, उसी गतिविधियों को चलाने वाले उस दूसरे देश के उद्यमों पर लगाए गए कराधान से कम अनुकूल नहीं होगा। इस प्रावधान को किसी संविदाकारी देश को किसी स्थायी प्रतिष्ठान के मुनाफे पर कर लगाने से रोकने के रूप में नहीं समझा जाएगा, जो कि पहले उल्लिखित देश में दूसरे संविदाकारी देश की किसी कंपनी के पास है, कर की दर से जो कि पहले उल्लिखित संविदाकारी देश की किसी समान कंपनी के मुनाफे पर लगाए गए कर की दर से अधिक है, न ही इस समझौते के अनुच्छेद के प्रावधानों के प्रतिकूल माना जाएगा। 3 के पैराग्राफ 7

3. इस अनुच्छेद में किसी भी बात को किसी संविदाकारी देश को दूसरे संविदाकारी देश के निवासियों को नागरिक स्थिति या पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण कराधान उद्देश्यों के लिए अपने निवासियों को दिए जाने वाले किसी व्यक्तिगत भत्ते, राहत और कटौती देने के लिए बाध्य करने के रूप में नहीं समझा जाएगा।

4. इस अनुच्छेद में किसी भी बात को किसी संविदाकारी देश पर किसी अन्य संविदाकारी देश के निवासियों को किसी भी उपचार वरीयता या विशेषाधिकार का लाभ देने के लिए कानूनी दायित्व लगाने के रूप में नहीं समझा जाएगा, जो कि किसी अन्य देश या उसके निवासियों को उन समझौतों के माध्यम से दिया जा सकता है, जिनमें पहले उल्लिखित संविदाकारी देश एक पक्ष हो सकता है।

5. किसी संविदाकारी देश के उद्यम, जिसकी पूंजी पूर्णतः या आंशिक रूप से दूसरे संविदाकारी देश के एक या अधिक निवासियों के स्वामित्व या नियंत्रण में है, प्रथम वर्णित देश में किसी कराधान या उससे संबंधित किसी अपेक्षा के अधीन नहीं होंगे जो कराधान और संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न या अधिक बोझिल है जिसके अधीन प्रथम वर्णित देश के अन्य समान उद्यम हैं या हो सकते हैं।

6. सिवाय जहां अनुच्छेद 1 के पैराग्राफ 9, अनुच्छेद के प्रावधान 6 के पैराग्राफ 12 या अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 11 लागू होते हैं, किसी संविदाकारी देश के उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी देश के निवासी को भुगतान किए गए ब्याज, रॉयल्टी और अन्य संवितरण, ऐसे उद्यम के कर योग्य लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए, उन्हीं शर्तों के अधीन कटौती योग्य होंगे जैसे कि उन्हें प्रथम वर्णित देश के निवासी को भुगतान किया गया हो।

7. कतर के कर कानून के तहत कॉर्पोरेट निकायों के मुनाफे में कतर के नागरिकों के हिस्से पर कर न लगाना इस अनुच्छेद के तहत भेदभाव नहीं माना जाएगा।

8. इस अनुच्छेद में, कराधान शब्द का तात्पर्य उन करों से है जो इस समझौते का विषय हैं।

अनुच्छेद 25 **पारस्परिक समझौता प्रक्रिया**

1. जहां कोई व्यक्ति यह मानता है कि एक या दोनों संविदाकारी देशों की कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप उस पर इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार कराधान नहीं होगा, तो वह उन देशों के घरेलू कानून द्वारा प्रदान किए गए उपायों पर ध्यान दिए बिना, उस संविदाकारी देश के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जिसका वह निवासी है या, यदि उसका मामला अनुच्छेद के अंतर्गत आता है 1 के पैराग्राफ 24, तो उस संविदाकारी देश के समक्ष, जिसका वह नागरिक है अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है। मामले को समझौते के प्रावधानों के अनुसार कराधान नहीं होने के परिणामस्वरूप कार्यवाई की पहली अधिसूचना से तीन वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

2. सक्षम प्राधिकारी, यदि उसे आपत्ति उचित प्रतीत होती है और यदि वह स्वयं संतोषजनक समाधान पर पहुंचने में सक्षम नहीं है, तो वह दूसरे संविदाकारी देश के सक्षम प्राधिकारी के साथ आपसी समझौते द्वारा मामले को हल करने का प्रयास करेगा, ताकि ऐसे कराधान से बचा जा सके जो समझौते के अनुसार नहीं है। किसी भी समझौते पर पहुंचने पर उसे संविदाकारी देशों के घरेलू कानून में किसी भी समय सीमा के होते हुए भी लागू किया जाएगा।

3. संविदाकारी देशों के सक्षम प्राधिकारी समझौते की व्याख्या या आवेदन के संबंध में उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई या संदेह को आपसी समझौते से हल करने का प्रयास करेंगे। वे उन मामलों में दोहरे कराधान को समाप्त करने के लिए एक साथ परामर्श भी कर सकते हैं जिनका समझौते में उल्लेख नहीं है।

4. संविदाकारी देशों के सक्षम प्राधिकारी पिछले पैराग्राफ के तात्पर्य में एक समझौते पर पहुंचने के उद्देश्य से एक दूसरे के साथ सीधे संवाद कर सकते हैं। जब समझौते पर पहुंचने के लिए मौखिक विचारों का आदान-प्रदान करना उचित लगता है, तो ऐसा आदान-प्रदान संविदाकारी देशों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों से बने आयोग के माध्यम से हो सकता है।

अनुच्छेद 26 **सूचना का आदान-प्रदान**

1. संविदाकारी देशों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों और दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे, जो इस समझौते के प्रावधानों को लागू करने या संविदाकारी देशों की ओर से लगाए गए हर प्रकार और विवरण के करों के संबंध में संविदाकारी देशों के घरेलू कानूनों के प्रशासन और प्रवर्तन के लिए प्रासंगिक है, या उनके राजनीतिक उपखंडों या स्थानीय प्राधिकारियों के लिए, जहां तक कि उसके तहत कराधान

विशेष रूप से धोखाधड़ी या ऐसे करों के अपवंचन की रोकथाम के लिए समझौते के विपरीत नहीं है। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।

2. किसी संविदाकारी देश द्वारा अनुच्छेद 1 के तहत प्राप्त किसी भी सूचना को उसी तरह गुप्त माना जाएगा जैसे उस देश के घरेलू कानूनों के तहत प्राप्त सूचना को माना जाता है और केवल उन व्यक्तियों या प्राधिकरणों (न्यायालयों और प्रशासनिक निकायों सहित) को प्रकट किया जाएगा जो अनुच्छेद 1 में निर्दिष्ट करों के संबंध में मूल्यांकन या संग्रह, प्रवर्तन या अभियोजन, या अपीलों के निर्धारण में शामिल हैं। ऐसे व्यक्ति या प्राधिकरण केवल ऐसे उद्देश्यों के लिए सूचना का उपयोग करेंगे। वे सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाही में या न्यायिक निर्णयों में सूचना का खुलासा कर सकते हैं। अनुरोध करने वाले देश के सक्षम प्राधिकारी की स्पष्ट लिखित सहमति के बिना सूचना किसी अन्य व्यक्ति या संस्था या प्राधिकरण या किसी अन्य क्षेत्राधिकार को प्रकट नहीं की जा सकती।

3. किसी भी परिस्थिति में अनुच्छेद 1 और 2 के प्रावधानों की व्याख्या इस प्रकार किसी संविदाकारी देश पर निम्नलिखित दायित्व नहीं सौंप सकता है:

- क) अपने या दूसरे संविदाकारी देश के कानूनों और प्रशासनिक कार्यवाही से भिन्न प्रशासनिक उपाय करना;
- ख) ऐसी सूचना या दस्तावेज प्रदान करना जो अपने या दूसरे संविदाकारी देश के कानूनों के तहत या प्रशासन के सामान्य क्रम में प्राप्त नहीं हो सकते;
- ग) ऐसी सूचना प्रदान करना जो किसी व्यापार, व्यवसाय, औद्योगिक, वाणिज्यिक या व्यावसायिक रहस्य या व्यापार प्रक्रिया या सूचना का खुलासा करेगी, जिसका खुलासा सार्वजनिक नीति (ऑर्डर पब्लिक) के विपरीत होगा।

4. यदि किसी संविदाकारी देश द्वारा इस अनुच्छेद के अनुसार सूचना का अनुरोध किया जाता है, तो दूसरा संविदाकारी देश अनुरोधित सूचना प्राप्त करने के लिए अपने सूचना एकत्र करने के उपायों का उपयोग करेगा, भले ही उस दूसरे देश को अपने स्वयं के कर उद्देश्यों के लिए ऐसी सूचना की आवश्यकता न हो। पिछले वाक्य में निहित दायित्व अनुच्छेद 3 की सीमाओं के अधीन है, लेकिन किसी भी मामले में ऐसी सीमाओं को किसी संविदाकारी देश को केवल इसलिए सूचना प्रदान करने से मना करने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि ऐसी सूचना में उसका कोई घरेलू हित नहीं है।

5. किसी भी मामले में अनुच्छेद 3 के प्रावधानों को किसी संविदाकारी देश को केवल इसलिए सूचना प्रदान करने से मना करने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि मांगी गई सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, नामित व्यक्ति या किसी संगठन या प्रत्ययी क्षमता में कार्य करने वाले व्यक्ति के पास है या क्योंकि यह किसी विशिष्ट व्यक्ति के स्वामित्व के हितों से संबंधित है।

अनुच्छेद 27 **करों के संग्रहण में सहायता**

1. संविदाकारी देश इस करार से संबंधित करों के संग्रहण में एक दूसरे को सहायता देने का वचन देते हैं, साथ ही ऐसे करों से संबंधित ब्याज, लागत और नागरिक दंड, जिन्हें इस अनुच्छेद में राजस्व दावे के रूप में संदर्भित किया गया है।

2. राजस्व दावे के संग्रहण में संविदाकारी देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सहायता के लिए अनुरोध में ऐसे प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाणीकरण शामिल होगा कि उस देश के कानूनों के तहत राजस्व दावे का अंतिम रूप से निर्धारण कर लिया गया है। इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, राजस्व दावे का अंतिम रूप से निर्धारण तब किया जाता है जब संविदाकारी देश को अपने आंतरिक कानून के तहत राजस्व दावे को एकत्रित करने का अधिकार होता है और करदाता के पास संग्रहण को रोकने का कोई और अधिकार नहीं होता है।

3. इस अनुच्छेद के अनुसरण में संविदाकारी देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा एकत्र की गई राशि दूसरे संविदाकारी देश के सक्षम प्राधिकारी को भेजी जाएगी। हालांकि, पहले उल्लिखित संविदाकारी देश दोनों देशों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत सीमा तक ऐसी सहायता प्रदान करने के दौरान किए गए खर्चों, यदि कोई हो, की प्रतिपूर्ति का हकदार होगा।

4. इस अनुच्छेद में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी भी संविदाकारी देश पर अपने स्वयं के करों के संग्रहण में उपयोग किए जाने वाले प्रशासनिक उपायों से भिन्न प्रकृति के प्रशासनिक उपाय करने का दायित्व डालती है या जो उसकी सार्वजनिक नीति के विपरीत होंगे।

अनुच्छेद 28 **लाभ का अधिकार**

इस समझौते के अन्य प्रावधानों के होते हुए भी, इस समझौते के तहत आय की किसी मद के संबंध में लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा, यदि सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकालना उचित है कि उस लाभ को प्राप्त करना किसी भी व्यवस्था या लेनदेन का मुख्य उद्देश्य था, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वह लाभ हुआ, जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि इन परिस्थितियों में उस लाभ को प्रदान करना इस समझौते के प्रासंगिक प्रावधानों के उद्देश्य और प्रयोजन के अनुसार होगा।

अनुच्छेद 29 **राजनयिक मिशनों के सदस्य और दूतावासों के पद**

इस समझौते में कुछ भी ऐसा नहीं है जो अंतरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों या विशेष समझौतों के प्रावधानों के तहत राजनयिक एजेंटों या दूतावास अधिकारियों के वित्तीय विशेषाधिकारों को प्रभावित करेगा।

अनुच्छेद 30 **लागू होना**

1. संविदाकारी देश राजनयिक माध्यमों से एक दूसरे को लिखित रूप में इस समझौते के लागू होने के लिए संबंधित कानूनों द्वारा अपेक्षित प्रक्रियाओं के पूरा होने की सूचना देंगे।

2. यह समझौता इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में संदर्भित अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की प्राप्ति की तिथि से लागू होगा।

3. इस समझौते के प्रावधान भारत और कतर में उस कैलेंडर वर्ष के तुरंत बाद के वित्तीय वर्ष के पहले दिन या उसके बाद प्राप्त होने वाली आय के संबंध में लागू होंगे जिसमें यह समझौता लागू होता है।

4. भारत गणराज्य की सरकार और कतर देश की सरकार के बीच 7 अप्रैल, 1999 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित दोहरे कराधान से बचाव और आय पर करों के संबंध में राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम संबंधी समझौते के प्रावधान इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 और 3 के प्रावधानों के अनुसार लागू नहीं रहेंगे।

अनुच्छेद 31 समाप्ति

यह समझौता तब तक अनिश्चित काल तक लागू रहेगा जब तक कि इसे किसी संविदाकारी देश द्वारा समाप्त नहीं कर दिया जाता है। कोई भी संविदाकारी देश, समझौते के लागू होने की तिथि से पाँच वर्ष की समाप्ति के पश्चात शुरू होने वाले किसी भी कैलेंडर वर्ष की समाप्ति से कम से कम छह महीने पहले समाप्ति की सूचना देकर, राजनयिक माध्यमों से इस समझौते को समाप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में, जिस कैलेंडर वर्ष में समाप्ति की सूचना दी गई है, उसके तुरंत बाद के वित्तीय वर्ष के पहले दिन या उसके बाद उत्तपन्न होने वाली आय के संबंध में, यह समझौता भारत और कतर में लागू नहीं रहेगा।

जिसके साक्ष्य में, विधिवत अधिकृत होने के कारण, अधोहस्ताक्षरी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

अरबी, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में, 2025 के फ़रवरी माह के 18वें दिन नई दिल्ली में दो प्रतियों में किया गया, जिसके सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। व्याख्या में भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य की सरकार के लिए

कतर देश की सरकार के लिए

.....
महामहिम श्रीमती निर्मला सीतारमन

.....
महामहिम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान
बिन जसीम अल थानी

वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री

प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री

प्रोटोकॉल

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचाव और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और कतर देश की सरकार के बीच समझौते पर हस्ताक्षर करते समय, दोनों पक्षों ने निम्नलिखित प्रावधानों पर सहमति व्यक्त की है जो समझौते के अभिन्न अंग होंगे:

1. अनुच्छेद 11 के संबंध में

यह स्पष्ट किया जाता है कि समझौते के अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 3 के प्रयोजनों के लिए, "देश" शब्द में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- i) भारत के मामले में, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय निर्यात आयात बैंक;
- ii) कतर के मामले में, कतर निवेश प्राधिकरण और कतर होल्डिंग एलएलसी;

जिसके साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरी ने, विधिवत अधिकृत होने के कारण, इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।

अरबी, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में, 2025 के फ़रवरी माह के 18वें दिन नई दिल्ली में दो प्रतियों में किया गया, जिसके सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। व्याख्या में भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य की सरकार के लिए

कतर देश की सरकार के लिए

.....
महामहिम श्रीमती निर्मला सीतारमन

.....
महामहिम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन
जसीम अल थानी

वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री

प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री

[अधिसूचना सं. 154/2025/फा. सं. 504/6/2004-एसओ-एफटीडी-II(2)]

भास्कर गोस्वामी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th October, 2025

(Income-Tax)

G.S.R. 789(E).—Whereas, the Agreement and Protocol between the Republic of India and the State of Qatar for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, was signed at New Delhi on the 18th day of February, 2025;

And whereas, the said Agreement and Protocol entered into force on the 10th day of September, 2025 in accordance with paragraph 2 of Article 30 of the said Agreement and Protocol;

And whereas, paragraph 3 of Article 30 of the said Agreement and Protocol provides that the provisions of the Agreement and Protocol shall have effect in India in respect of income arising on or after first day of the fiscal year immediately following the calendar year in which the Agreement and Protocol enter into force;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that all the provisions of the Agreement and Protocol as annexed hereto, shall be given effect to in the Union of India.

ANNEXURE**AGREEMENT BETWEEN****THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA****AND****THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR****FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND FOR THE PREVENTION****OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME**

The Government of the Republic of India and the Government of the State of Qatar, desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and with a view to promoting economic cooperation between the two countries,

intending to eliminate double taxation with respect to the taxes covered by this Agreement without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in this agreement for the indirect benefit of residents of third jurisdictions); have agreed as follows:

Article 1

PERSONS COVERED

1. This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.
2. For the purposes of this Agreement, income derived by or through an entity or arrangement that is established in either Contracting State and that is treated as wholly fiscally transparent under the tax law of either Contracting State shall be considered to be income of a resident of a Contracting State only to the extent that the income is treated, for the purposes of taxation by that State, as the income of a resident of that State.

Article 2

TAXES COVERED

1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.
2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property and taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises.
3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular:
 - a) In India, the income-tax, including any surcharge thereon, (hereinafter referred to as "Indian tax").
 - b) In Qatar, taxes on income, (hereinafter referred to as "Qatari Tax");
4. The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes referred to in paragraph 3. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws.

Article 3 GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:

- a) the term “India” means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdiction, according to the Indian law and in accordance with international law, including the U.N. Convention on the Law of the Sea;
- b) the term “Qatar” means the State of Qatar and when used in the geographical sense it means the State of Qatar’s lands, internal waters, territorial sea including its bed and subsoil, the air space over them, the exclusive economic zone and the continental shelf, over which the State of Qatar exercises sovereign rights and jurisdiction in accordance with the provisions of international law and Qatar’s national laws and regulations;
 - c) the term "person" includes an individual, a company, a body of persons and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting States;
- d) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;
- e) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- f) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
- g) the term "competent authority" means :
 - (i) in India: the Finance Minister, Government of India, or his authorized representative
 - (ii) in Qatar : the Minister of Finance, or his authorized representative;
- h) the term "national" means :
 - (i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;
 - (ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State;
- i) the term "fiscal year" means :
 - (i) in the case of India, the financial year beginning on the 1st day of April;
 - (ii) in the case of Qatar, taxable year as defined in Qatar Income Tax Law;
- j) the term "tax" means Indian tax or Qatari tax, as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes

to which this Agreement applies or which represents a penalty or fine imposed relating to those taxes;

- k) the terms "Contracting State" and "the other Contracting State" mean the Republic of India or the State of Qatar as the context requires.

2. As regards the application of the Agreement at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Agreement applies and any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

Article 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision, local authority or statutory body thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

- (a) he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
- (b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;
- (c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;
- (d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person, other than an individual, is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to determine by mutual agreement the Contracting State of which such person shall be deemed to be a resident for the purposes of the Agreement, having regard to its place of effective management, the place where it is incorporated or otherwise constituted and any other relevant factors. In the absence of such agreement, such person shall not be entitled to any relief or exemption from tax provided by this Agreement except to the extent and in such manner as may be agreed upon by the competent authorities of the Contracting States.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially:

- a) a place of management;
- b) a branch;
- c) an office;
- d) a factory;
- e) a workshop;
- f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;
- g) a sales outlet;
- h) a warehouse in relation to a person providing storage facilities for others; and
- i) a farm, plantation or other place where agricultural, forestry, plantation or related activities are carried on.

3. a) A building site or a construction, installation or assembly project or supervisory activities in connection therewith constitutes a permanent establishment only if such site, project or activity lasts more than six months;

b) The furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, constitutes a permanent establishment only where activities of that nature continue (for the same or connected project) within the country for a period or periods aggregating more than 90 days within any 12-month period.

4. An enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State and to carry on business through that permanent establishment if it provides services or facilities in connection with, or supplies plant and machinery on hire used for or to be used in the prospecting for, or extraction or exploitation of mineral oils in that State.

5. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:

- a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, or display;

- c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
- e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity;
- f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs (a) to (e),

provided that such activity or, in the case of subparagraph f), the overall activity of the fixed place of business, is of a preparatory or auxiliary character.

5.1 Paragraph 5 shall not apply to a fixed place of business that is used or maintained by an enterprise if the same enterprise or a closely related enterprise carries on business activities at the same place or at another place in the same Contracting State and

(a)	that place or other place constitutes a permanent establishment for the enterprise or the closely related enterprise under the provisions of this Article, or
(b)	the overall activity resulting from the combination of the activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the same enterprise or closely related enterprises at the two places, is not of a preparatory or auxiliary character,

provided that the business activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the same enterprise or closely related enterprises at the two places, constitute complementary functions that are part of a cohesive business operation.

6. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person - other than an agent of an independent status to whom paragraph 8 applies - is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if such a person:

- (a) has and habitually exercises, in that State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 5 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph; or
- (b) has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise; or
- (c) habitually secures orders in the first-mentioned State, wholly or almost wholly for the enterprise itself or for the enterprise and other enterprises controlling, controlled by, or subject to the same control, as that enterprise.

7. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, an insurance enterprise of a Contracting State shall, except in regard to re-insurance, be deemed to have a permanent

establishment in the other Contracting State if it collects premiums in the territory of that other State or insures risks situated therein through a person other than an agent of an independent status to whom paragraph 8 applies.

8. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise or one or more enterprises to which it is closely related and conditions are made or imposed between that enterprise and the agent in their commercial and financial relations which differ from those which would have been made between independent enterprises, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

9. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

10. For the purposes of this Article, a person or enterprise is closely related to an enterprise if, based on all the relevant facts and circumstances, one has control of the other or both are under the control of the same persons or enterprises.

In any case, a person or enterprise shall be considered to be closely related to an enterprise if one possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interests in the other (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares or of the beneficial equity interest in the company) or if another person or enterprise possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares or of the beneficial equity interest in the company) in the person and the enterprise or in the two enterprises.

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may also be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case

include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may also be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, in accordance with the provisions of and subject to the limitations of the tax laws of that State. However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents, know-how or other rights, or by way of commission or other charges for specific services performed or for management, or, except in the case of banking enterprises, by way of interest on moneys lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken, in the determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged (otherwise than toward reimbursement of actual expenses), by the permanent establishment to the head office

of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents, know-how or other rights, or by way of commission or other charges for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year, unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

2. For the purposes of the preceding paragraph, the ships and aircraft in the case of the State of Qatar shall include United Arab Shipping Company so long as the State of Qatar owns a share in this company or any other air or sea transport enterprise designated by the Government of the State of Qatar.

3. Profits derived by a transportation enterprise which is a resident of a Contracting State from the use, maintenance, or rental of containers (including trailers and other equipment for the transport of containers) used for the transport of goods or merchandise in international traffic shall be taxable only in that Contracting State unless the containers are used solely within the other Contracting State.

4. For the purposes of this Article, interest on investments directly connected with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as profits derived from the operation of such ships or aircraft, and the provisions of Article 11 shall not apply in relation to such interest.

5. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 9 **ASSOCIATED ENTERPRISES**

1. Where:

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State; or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent authorities of the Contracting States shall, if necessary consult each other.

Article 10 **DIVIDENDS**

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

(a)	5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which owns at least twenty-five per cent of the shares of the company paying the dividend; and
(b)	10 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State shall be taxable only in the other Contracting State if the beneficial owner of the dividends is that other State itself, a political subdivision or a local authority thereof

4. The term “dividends” as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11 INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be taxable only in the other Contracting State, provided that it is derived and beneficially owned by that other State itself, a political subdivision or a local authority thereof.

4. The term “interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtors profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. The term also includes income from arrangements such as Islamic financial instruments where the substance of the underlying contract can be assimilated to a loan. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 12
ROYALTIES AND FEES FOR TECHNICAL SERVICES

1. Royalties or fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. However, such royalties or fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties or fees for technical services.
3.
 - a) The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films or films or tapes for television or radio broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, any industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience;
 - b) The term “fees for technical services” as used in this Article means payment of any kind in consideration for the rendering of any managerial, technical or consultancy services including the provision of services by technical or other personnel but does not include payments for services mentioned in Articles 14 and 15 of this Agreement.
4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State, in which the royalties or fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
5. Royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties or fees for technical services was incurred, and such royalties or fees for technical services are borne by such permanent establishment, or fixed base then such royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties or fees for technical services having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 13

CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in that State.

4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares deriving more than 50% of their value directly or indirectly from immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other state.

5. Gains from the alienation of shares other than those mentioned in paragraph 4 in a company which is a resident of a Contracting State may be taxed in that State.

6. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State except in the following circumstances, when such income may also be taxed in the other Contracting State:

(a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State; or

(b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods aggregating 183 days or more in any 12 month period commencing or ending in the fiscal year concerned; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.

2. The term professional services includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, surgeons, dentists and accountants.

Article 15

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19, 20 and 21 salaries, wages, and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any 12 month period commencing or ending in the fiscal year concerned; and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, a Contracting State shall exempt salaries, wages, allowances and perquisites from tax in the case of employees of a designated national air transport carrier of the other Contracting State provided that they are nationals of that other Contracting State.

Article 16

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may also be taxed in that other State.

Article 17

ARTISTES AND SPORTSPERSONS

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsperson himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2, shall not apply to income from activities performed in a Contracting State by entertainers or sportspersons if the activities are substantially supported by public funds of one or both of the Contracting States or of political subdivisions or local authorities thereof. In such a case, the income is taxable only in the Contracting State of which the entertainer or sportsperson is a resident.

Article 18

PENSIONS

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

Article 19

GOVERNMENT SERVICE

1. a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that other State who:

(i) is a national of that other State; or

(ii) did not become a resident of that other State solely for the purpose of rendering the services.

2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.

3. The provisions of Articles 15, 16, 17 and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

Article 20

STUDENTS AND APPRENTICES

1. A student or business apprentice who is or was a resident of a Contracting State immediately before visiting the other Contracting State and who is present in that other Contracting State solely for the purpose of his education or training shall be exempt from tax in that other State on, besides grants, loans and scholarships:

a) payments made to him by persons residing outside that other State for the purposes of his maintenance, education or training; and

b) remuneration from employment in that other State, provided that such employment is directly related to his studies or is undertaken for the purpose of his maintenance.

2. The benefits of this Article shall extend only for such period of time as may be reasonable or customarily required to complete the education or training undertaken, but in no event shall any individual have the benefits of this Article, for more than six consecutive years from the date of his first arrival in that other State for the purposes of his education or training.

Article 21**PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCH SCHOLARS**

1. A professor or teacher or research scholar who is or was a resident of the Contracting State immediately before visiting the other Contracting State for the purpose of teaching or engaging in research, or both, at a university, college, school or other approved institution in that other Contracting State shall be exempt from tax in that other State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date of his first arrival in that other State for that purpose.
2. This Article shall not apply to income from research, if such research is undertaken primarily for the private benefit of a person or persons.
3. For the purposes of this Article and Article 20, an individual shall be deemed to be a resident of a Contracting State if he is resident in that State in the fiscal year in which he visits the other Contracting State or in the immediately preceding fiscal year.
4. For the purposes of paragraph 1, approved institution means an institution which has been approved in this regard by the competent authority of the concerned State.

Article 22**OTHER INCOME**

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that State.
2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing articles of this Agreement and arising in the other Contracting State may also be taxed in that other State.

Article 23

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. The laws in force in either of the Contracting States will continue to govern the taxation of income in the respective Contracting States except where provisions to the contrary are made in this Agreement.

2. In the case of the State of Qatar, double taxation shall be eliminated as follows:

Where a resident of the State of Qatar derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in India, the State of Qatar shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income-tax paid in India. Such amount shall not, however, exceed that part of the income-tax as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in India.

3. In the case of India, double taxation shall be eliminated as follows:

a) Where a resident of India derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in the State of Qatar, India shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in the State of Qatar. Such amount shall not, however, exceed that part of the income tax as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in the State of Qatar.

b) Where in accordance with any provision of this Agreement income derived by a resident of India is exempt from tax in India, India may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.

4. The tax payable in the Contracting State mentioned in paragraphs 2 and 3 of this Article shall be deemed to include the tax which would have been payable but for the tax incentives granted under the laws of the Contracting State and which are designed to promote economic development.

Article 24

NON-DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision

shall not be construed as preventing a Contracting State from charging the profits of a permanent establishment which a company of the other Contracting State has in the first-mentioned State at a rate of tax which is higher than that imposed on the profits of a similar company of the first-mentioned Contracting State, nor as being in conflict with the provisions of paragraph 3 of Article 7 of this Agreement.

3. Nothing in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

4. Nothing in this Article shall be construed as imposing a legal obligation on a Contracting State to extend to the residents of the other Contracting State the benefit of any treatment preference or privilege which may be accorded to any other State or its residents through agreements to which the first-mentioned Contracting State may be a party.

5. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

6. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12 apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

7. The non-taxation of the share of Qatari nationals in profits of corporate bodies under Qatar's tax law shall not be regarded as discrimination under this Article.

8. In this Article, the term taxation means taxes which are the subject of this Agreement.

Article 25

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. The

case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 26

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents and certified copies of documents), as is relevant for carrying out the provisions of this Agreement or to the administration and enforcement of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Agreement of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The information may not be disclosed to any other person or entity or authority or any other jurisdiction without the express written consent of the competent authority of the requested State.

3. In no case shall the provisions of paragraph 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- b) to supply information or documents which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy(*ordre public*).

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting state to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

Article 27

ASSISTANCE IN COLLECTION OF TAXES

1. The Contracting States undertake to lend assistance to each other in the collection of taxes to which this Agreement relates, together with interest, costs, and civil penalties relating to such taxes, referred to in this Article as a revenue claim.

2. Request for assistance by the competent authority of a Contracting State in the collection of a revenue claim shall include a certification by such authority that, under the laws of that State, the revenue claim has been finally determined. For the purposes of this Article, a revenue claim is finally determined when a Contracting State has the right under its internal law to collect the revenue claim and the taxpayer has no further rights to restrain collection.

3. Amounts collected by the competent authority of a Contracting State pursuant to this Article shall be forwarded to the competent authority of the other Contracting State. However, the first-mentioned Contracting State shall be entitled to reimbursement of costs, if any, incurred in the course of rendering such assistance to the extent mutually agreed between the competent authorities of the two States.

4. Nothing in this Article shall be construed as imposing on either Contracting State the obligation to carry out administrative measures of a different nature from those used in the collection of its own taxes or those which would be contrary to its public policy.

Article 28

ENTITLEMENT TO BENEFITS

Notwithstanding the other provisions of this Agreement, a benefit under this Agreement shall not be granted in respect of an item of income if it is reasonable to conclude, having regard to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is established that granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of this Agreement.

Article 29

MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 30

ENTRY INTO FORCE

1. The Contracting States shall notify each other in writing, through diplomatic channels, the completion of the procedures required by the respective laws for the entry into force of this Agreement.

2. This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the later of the notifications referred to in paragraph 1 of this Article.

3. The provisions of this Agreement shall have effect in India and Qatar in respect of income arising on or after the first day of the fiscal year immediately following the calendar year in which the Agreement enters into force.

4. The provisions of the Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the State of Qatar for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income signed at New Delhi on the 7th day of April, 1999 shall cease to have effect on provisions of this Agreement becoming operative as per paragraphs 2 and 3 of this Article.

Article 31 TERMINATION

This Agreement shall remain in force indefinitely until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate this Agreement, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year beginning after the expiration of five years from the date of entry into force of the Agreement. In such event, the Agreement shall cease to have effect in India and Qatar, in respect of income arising on or after the first day of the fiscal year immediately following the calendar year in which the notice of termination is given.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.

DONE in duplicate at New Delhi this 18th day of February 2025, each in the Arabic, Hindi and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

**For the Government of the
Republic of India**

**For the Government of the
State of Qatar**

.....
Her Excellency Smt. Nirmala Sitharaman

.....
His Excellency Sheikh Mohammed bin Abdul
Rahman bin Jassim Al Thani

Minister of Finance and Corporate Affairs

Prime Minister and Minister of Foreign
Affairs

PROTOCOL

At the signing of the Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the State of Qatar for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to taxes on income, both sides have agreed upon the following provisions which shall be an integral part of the Agreement:

1. Ad. Article 11

It is clarified that for the purposes of paragraph 3 of Article 11 of the Agreement, the term “State” shall include:

- i) in the case of India, Reserve Bank of India and the Export Import Bank of India;
- ii) in the case of Qatar, the Qatar Investment Authority and Qatar Holding LLC;

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this protocol.

DONE in duplicate at New Delhi this 18th day of February 2025, each in the Arabic, Hindi, and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

**For the Government of the
Republic of India**

**For the Government of the
State of Qatar**

.....
Her Excellency Smt. Nirmala Sitharaman

.....
His Excellency Sheikh Mohammed bin Abdul
Rahman bin Jassim Al Thani

Minister of Finance and Corporate Affairs

Prime Minister and Minister of Foreign
Affairs

[Notification No.154/2025/F. No. 504/6/2004-SO-FTD-II(2)]

BHASKAR GOSWAMI, Jt. Secy.